सिद्धार्थनगर पुलिस

प्रेस नोट दिनांक 19-06-2024 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जनपदीय पुलिस द्वारा ईद-उल-जुहा (बकरीद) व शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पोस्टर पार्टी निकालकर मन्दिर-मस्जिद एवं संवेदनशील स्थानों में चलाया गया चेकिंग अभियान।

सुश्री प्राची सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दिनांक 18/19.06.2024 की रात्रि में त्यौहार ईद-उल-जुहा (बकरीद) के दृष्टिगत शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक /थानाध्यक्ष द्वारा पोस्टर पार्टी निकालकर अपने-अपने थानाक्षेत्रों में स्थित मन्दिर-मस्जिद एवं अन्य संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग की गयी। आपस में सौहार्द बनाये रखने व अफवाहों से दूर रहने तथा किसी भी खबर की प्रमाणिकता जाने बिना शेयर न करने हेतु अपील किया गया। त्यौहार ईद-उल-जुहा (बकरीद) के मद्देनजर सोशल मीडिया पर पर्याप्त सतर्कता रखी जा रही है।

प्रेस नोट दिनांक 19.06.2024 जनपद सिद्धार्थनगर

◆अपहरण व दुष्कर्म का आरोपी अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे, अपहृता बरामद ।

◆थाना इटवा पुलिस को मिली सफलता।

◆गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

सुश्री प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में अपराध एवं अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत सिद्धार्थ, अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल पर्यवेक्षण व गर्वित सिंह, क्षेत्राधिकारी इटवा एवं संतोष कुमार तिवारी प्रभारी निरीक्षक थाना इटवा के कुशल नेतृत्व में थाना इटवा पुलिस द्वारा आज दिनांक 19.06.2024 को मु0अ0सं0 80/24 धारा 363/366/376 भादवि व 5/6 पॉक्सो अधिनियम थाना इटवा से संबंधित अभियुक्त को शाहपुर तिराहा थाना इटवा से गिरफ्तार किया गया। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता को सकुशल बरामद कर बाद विधिक कार्यवाही वन स्टाप सेन्टर में दाखिल कराया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. शिवा चौहान पुत्र बलिराम चौहान निवासी धौरहरा मय परसादी खास थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

01.उ0नि0 सुनील कुमार सिंह थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर।

02. हो0गा0 जगदम्बा भट्ट थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ।

प्रेस-नोट दिनांक 19.06.2024 जनपद सिद्धार्थनगर

◆ "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत जिला मानिटरिंग सेल व थाना बांसी पुलिस की प्रभावी पैरवी से मारपीट के आरोपी को 04 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹6,000/- अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा चलाये जा रहे "आपरेशन कन्विक्शन" के क्रम में सुश्री प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में दिनांक 19.06.2024 को ST.N 03/2019 मु0अ0सं0 187/2018 धारा 308,323,325 भा0द0वि0 थाना बांसी में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर माननीय न्यायाधीश सत्य प्रकाश आर्य अपर सत्र न्यायाधीश बाह्य न्यायालय बांसी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा अभियुक्त यार मोहम्मद उर्फ घाघू पुत्र इंताज अली निवासी गोल्हौरा थाना बांसी जनपद सिद्धार्थनगर को धारा 323,325 भादवि मे 04 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹6,000/- अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा कराये जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चन्द्र दूबे तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी श्रवण कुमार थाना बांसी का सराहनीय योगदान रहा।

प्रेस नोट दिनांक 19.06.2024 जनपद सिद्धार्थनगर

◆यातायात पुलिस द्वारा दो पहिया वाहन पर तीन सवारी/बिना हेलमेट वाहन चलाना, दो/चार पहिया वाहनों मे पुलिस कलर्स का अवैध प्रयोग, वाहनों पर सायरन हुटर/प्रेशर हॉर्न उपयोग करना एवं सड़को के किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनो को हटवाना आदि के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया।

◆यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का न पालन करने वाले 42 वाहनो से ₹48,500/- का शमन शुल्क की कार्यवाही की गयी।

आज दिनांक 19.06.2024 को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर सुश्री प्राची सिंह के आदेश के अनुपालन के क्रम मे,अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर सिद्धार्थ के निर्देशन मे, क्षेत्राधिकारी यातायात अरुणकांत सिंह के कुशल पर्यवेक्षण मे प्रभारी यातायात अमरेश कुमार मय टीम द्वारा विशेष अभियान के तहत सनई चौराहा, साड़ी तिराहा,पेट्रोल पम्प तिराहा, हैड्रिल तिराहा तथा अन्य स्थानों पर पी०ए० सिस्टम से आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ साथ सड़को के किनारे अवैध रूप से खड़े हटवाया गया तथा 05 वाहनों पर सायरन हुटर/प्रेशर हॉर्न उपयोग करने एवं 03 दो/चार पहिया वाहनों मे लगे पुलिस कलर्स का अवैध प्रयोग तथा 02 दो /चार पहिया वाहनों पर अवैध तरिके से उ०प्र० शासन/भारत सरकार लिखा होने के साथ कुल 42 वाहनों का चालान करते हुए 48500 शमन शुल्क की कार्यवाही करते हुए प्रत्येक दशा मे यातायात नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया गया, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओ की संख्या मे भारी कमी लायी जा सके।

प्रेस नोट- दिनांक 19-06-2024 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा वाहनों में हूटर / सायरन / लाल नीली बत्ती / ब्लैक फिल्म लगाने वालों के विरूद्ध की जा रही है विधिक कार्यवाही।

शासन एवं यातायात निदेशालय उत्तर प्रदेश के आदेश निर्देशों के क्रम में वाहनों में हूटर / सायरन / लाल नीली बत्ती / ब्लैक फिल्म लगाने वालों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में जनपद में आज दिनांक 19-06-2024 को सुश्री प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस टीम द्वारा जनपद के विभिन्न स्थानों / मुख्य चौराहों पर वाहन में नियम विरूद्ध / अवैधानिक रूप से हूटर / सायरन / लाल नीली बत्ती / ब्लैक फिल्म का प्रयोग करने वाले वाहनों की चैकिंग करते हुए उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा वाहन चालको को यातायात नियमों का पालन करने एवं अपने वाहनों पर अवैधानिक रूप से हूटर / सायरन / लाल नीली बत्ती / ब्लैक फिल्म का प्रयोग न करने हेतु जागरुक किया जा रहा है।

प्रेस नोट दिनांक 19.06.2024 जनपद सिद्धार्थनगर

◆जनपदीय पुलिस द्वारा आगामी त्यौहार व जनपद में शांति व्यवस्था के दृष्टिगत अपने-अपने थाना क्षेत्रो में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट तथा भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर रुट मार्च/पैदल गश्त कर सुरक्षा का एहसास कराया गया ।

सुश्री प्राची सिंह, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में, सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 19-06-2024 को जनपदीय पुलिस द्वारा आगामी त्यौहार के दृष्टिगत जनपद में शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पड़ने वाले चिन्हित हाट स्पॉट व भीड़-भाड़ वाले स्थानों के आस-पास रुट मार्च/पैदल गश्त कर आम-जनमानस में सुरक्षा का एहसास कराते हुये जनसंवाद स्थापित किया गया। आपस में सौहार्द बनाये रखने व अफवाहों से दूर रहने तथा किसी भी खबर की प्रमाणिकता जाने बिना शेयर न करने हेतु अपील किया गया।

प्रेस नोट दिनांक 19.06.2024 जनपद सिद्धार्थनगर

◆पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में भारतीय न्याय संहिता-2023,भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होने के दृष्टिगत जनपद में नियुक्त बीट मुख्य आरक्षी/आरक्षी/नागरिक पुलिस को जनपद के लोहिया कला भवन हाल में दिया गया 01 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

आज दिनांक 19.06.2024 को सुश्री प्राची सिंह पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के निर्देशन में भारतीय न्याय संहिता-2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम-2023 के 01 जुलाई 2024 से प्रभावी होने के दृष्टिगत जनपद में नियुक्त बीट मुख्य आरक्षी/आरक्षी/नागरिक पुलिस को जनपद के लोहिया कला भवन हाल में 01 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 19.06.2024 से जनपद में उपलब्ध पुलिस बल की संख्या के अनुरूप अलग-अलग बैच बनाकर चरणवार तिथि तय कर दिनांक 21.06.2024 (समय 09.30 बजे से 18.00 बजे तक) तक उपलब्ध अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसी क्रम में आज दिनांक 19.06.2024 को कृष्ण चन्द्र व देवेन्द्र कुमार सिंह अभियोजन अधिकारी जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा जनपद के समस्त थानों एवं अन्य शाखओं सहित कुल 303 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया।

प्रेस नोट दिनांक 19.06.2024 जनपद सिद्धार्थनगर

◆सिद्धार्थनगर एण्टी रोमियो स्क्वाड पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत जनपद के स्कूल-कॉलेज व भीड़-भाड़ आदि स्थानों पर मनचलों एवं शोहदों की चेकिंग की गयी।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के आदेश के क्रम में मनचलों एवं रोमियो के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 19.06.2024 को प्रभारी एण्टी रोमियो स्कवाड टीम /शक्ति मोबाइल द्वारा मिशन शक्ति के अन्तर्गत एण्टी रोमियो कार्यवाही के तहत थाना कपिलवस्तु, मोहाना के सड्डा बाजार, मोहाना चौक, बर्ड पुर, कस्बा अलीगढ़वा, कपिलवस्तु स्तूप पार्क व स्कूल-कॉलेज/कोचिंग सेन्टर के पास तथा थानाक्षेत्र के आस-पास के मुख्य सड़को, चौराहों, रेलवे स्टेशन पर चेकिंग की गयी तथा चेकिंग के दौरान कोई अप्रिय बात नहीं रही।

एण्टी रोमियों टीम का विवरण-

01-म0उ0नि0 मीरा चौहान प्रभारी एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

02-आरक्षी राकेश कुमार यादव एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

03-महिला आरक्षी रीनू एण्टी रोमियो टीम जनपद सिद्धार्थनगर।

04- महिला आरक्षी ज्योति गुप्ता WCSO जनपद सिद्धार्थनगर।